

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(8) वित्त/राजस्व/18

जयपुर, दिनांक:- 28.05.2019


आज्ञा

निदेशक, कोष एवं लेखा के पत्र दिनांक 12.02.2019 के द्वारा श्री कैलाश चन्द खण्डेलवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, उपवन संरक्षक, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज-11, जैसलमेर की सम्पत्ति/संतान संबंधी सूचना अवगत कराये जाने के कारण, राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 31 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में स्थायी रूप से नियुक्त श्री खण्डेलवाल को दिनांक 01.04.2018 की रिक्ति की तिथि/पद उपलब्धता की तिथि पर वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध उक्त नियमों के नियम, 28 (ए) के उप नियम 7(सी) के अन्तर्गत घयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा के कनिष्ठ सेवा संवर्ग में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

श्री कैलाश चन्द खण्डेलवाल पदोन्नति के उपरान्त अपने वर्तमान पद को अस्थायी रूप से यथा आवश्यकता क्रमोन्नत/क्रमावनत मानते हुये कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करेंगे।

श्री खण्डेलवाल के पदोन्नति आदेश दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी होंगे तथा पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(अपूर्व जोशी)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष।
12. संबंधित अधिकारी।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव